

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(कार्यालय-बायोफ्यूल प्राधिकरण एवं वेस्टलेण्ड डेवलपमेन्ट बोर्ड)
(तृतीय तल, बी-ब्लॉक, योजना भवन, सी-स्कीम, जयपुर, फोन :2220672 फैक्स नं.:2224754, E-mail: blofuelraj@yahoo.co.in)

क्रमांक : प.79/ग्रावि./रा.व.ड.बो./2008

दिनांक: 30.10.2015

आज्ञा

राजस्थान वेस्टलेण्ड डेवलपमेन्ट बोर्ड कि प्रथम बैठक दिनांक 14.10.2009 के निर्णय अनुसार राज्य में विदेशी बबूल को जड़ से उखाड़ कर जलाकर कोयला बनाने पर बोर्ड के आदेश क्रमांक प.79/ग्रावि./रा.व.ड.बो./2008 दिनांक 11.11.2009 पर रोक लगाई गई थी।

निर्देशानुसार विदेशी बबूल को निजी खातेदारी भूमि पर जड़ से उखाड़ने हेतु उक्त रोक में शिथिलता प्रदान कर रोक हटायी जाती है।

Sd/-
(सुरेन्द्र सिंह राठौड़)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
बायोफ्यूल प्राधिकरण एवं
सदस्य सचिव
वेस्टलेण्ड डेवलपमेन्ट बोर्ड

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेषाधिकारी, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं प.रा. विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, जयपुर।
10. प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, श्रीमान शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
12. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
13. संभागीय आयुक्त समस्त।
14. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सम्पूर्ण राजस्थान।
16. रक्षित पत्रावली।

Sd/-
(सुरेन्द्र सिंह राठौड़)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
बायोफ्यूल प्राधिकरण एवं
सदस्य सचिव
वेस्टलेण्ड डेवलपमेन्ट बोर्ड